**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।**
**उपस्थितः विनोद सिंह रावत ( उच्चतर न्यायिक सेवा )**
**J.O. Code - UP 1893**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–480/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–1317/2026
(CNR No: UPGZ010029582026)

निखिल उर्फ निक्की पुत्र इन्द्रपाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी–सैथल हाउस के पास राम पार्क, थाना ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–49/2026
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

.....

09.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार कमल धामा ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप०नि० रमेश चन्द ने दिनांक 16.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 15.02.2026 को वादी मुकदमा मय हमराहीयान द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा दी गयी सूचना पर पकड़े गये व्यक्ति का नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम निखिल उर्फ निक्की पुत्र इन्द्रपाल बताया, जिसकी जामा तलाशी लेने पर पहनी पेन्ट की बायीं ओर से सुड्डा में खुरसा हुआ एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का घटना से कोई वास्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से कोई अवैध हथियार बरामद नहीं हुआ है और न ही अवैध हथियार रखता है। जो बरामदगी दिखाई गयी है वह पुलिस द्वारा झूठी दर्शायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध में संलिप्त रहा है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.09 16:27:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्त से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद होना कहा गया है, जिसे आवेदक/अभियुक्त बिना लाईसेंस के अपने पास रखे हुए था। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों पर अन्य मुकदमें भी पंजीकृत हैं, जिससे ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है। अपराध की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

**(विनोद सिंह रावत)**
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 09.03.2026